राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (2)/मो./लेखा परीक्षा दल/आईसीडीएस/2018 96795-827 जयपुर दिनांक 31.5.18

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– आंगनबाडी केन्द्रों पर वर्ष में 300 दिन एवं माह के दौरान 25 दिन से कम पूरक पौषाहार दिये जाने के संबध में ।

प्रसंगः– आपका यू.ओ. नोट क्रमांक जीएसएस–II/समीक्षा दल/एफएसी/ज्ञापन संख्या–17 दिनांक 09.04.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) दल ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की जा रही हैं। समीक्षा के दौरान आंगनबाडी केन्द्रों पर माह के दौरान 25 दिन से कम पूरक पौषाहार वितरण किया गया, उन आंगनबाडी केन्द्रों का विवरण चाहा गया है।

अतः आपको प्रधान महालेखाकार दल से प्राप्त ज्ञापन संख्या–17 छाया प्रति सलंग्न कर निर्देशित किया जाता है वर्ष 2015 से मार्च 2018 के दौरान जिन आंगनबाडी केन्द्रों पर माह में 25 दिन से कम पूरक पौषाहार वितरण किया गया, उन केन्द्रों का विवरण भिजवाने की सुनिश्चत व्यवस्था करावें।

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एफ 11 (2)/मो./लेखा परीक्षा दल/आईसीडीएस/2018 96828 जयपुर दिनांक 31.5.18

प्रतिलिपिः–

1. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, समीक्षा दल, हाजा कार्यालय को पत्र प्रेषित कर लेख है कि संबंधित जिलो से सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।
2. ACP पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोडवावें

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : जीएसएस–II/समीक्षा दल/एफएसी/ज्ञापन संख्या 47 दिनांक 9/5/18

विषय :– आंगनबाडी केन्द्रों पर वर्ष में 300 दिन एवं माह के दौरान औसतन 25 दिन से कम पूरक पोषाहार दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पूरक पोषण नियमावली 2015 के अनुसार 6 माह तक प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री माता तथा 6 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे (कुपोषण के शिकार बच्चों सहित) के लिए वर्ष में 300 दिन (माह के दौरान औसतन 25 दिन) के लिए पूरक पोषाहार दिये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये है ।

प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण के अनुसार वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 (माह 12/2017 तक) के दौरान माह में 21 दिन से अधिक पूरक पोषाहार वितरण करने वाले केन्द्रों की माहवार संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

माह	वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18 (माह 12/2017 तक)		
	कुल संचालित केन्द्रों की संख्या	21 दिन से अधिक पोषाहार वितरण वाले केन्द्रों की संख्या	21 दिन से कम पोषाहार वितरण करने वाले केन्द्रों की संख्या	कुल संचालित केन्द्रों की संख्या	21 दिन से अधिक पोषाहार वितरण वाले केन्द्रों की संख्या	21 दिन से कम पोषाहार वितरण करने वाले केन्द्रों की संख्या
अप्रैल	60604	56971	3633	61029	58522	2507
मई	60604	58348	2256	61029	59145	1884
जून	60604	56798	3806	61029	58876	2153
जुलाई	60604	56755	3849	61029	59324	1705
अगस्त	60604	57190	3414	61029	57999	3030
सितम्बर	60604	58187	2417	61029	58597	2432
अक्टूबर	60604	58704	1900	61029	58658	2371
नवम्बर	60604	58895	1709	61029	58682	2347
दिसम्बर	60604	58822	1782	61029	58590	2439
जनवरी	60604	59165	1439			
फरवरी	60604	58817	1787			
मार्च	60604	58868	1736			

वर्ष 2016–17 के दौरान 1439 से लेकर 3849 तक आंगनबाडी केन्द्रों तथा वर्ष 2017–18 (माह 12/2017 तक) के दौरान 1705 से 3030 तक आंगनबाडी केन्द्रों द्वारा माह में 21 दिन से कम पूरक पोषाहार वितरण किया गया ।

इस सम्बन्ध मे लेखा परीक्षा को वर्ष 2015–18 के दौरान जिन आंगनबाडी केन्द्रो द्वारा वर्ष में 300 दिन (माह के दौरान औसतन 25 दिन) से कम पूरक पोषाहार का वितरण किया गया, उन आंगनबाडी केन्द्रों का जिलेवार विवरण एवं कम पूरक पोषाहार वितरण करने के कारणों से अवगत करावे ।

व. लेखा परीक्षा अधिकारी,
समीक्षा दल

आयुक्त,
समेकित बाल विकास विभाग,
जयपुर